<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री नेवेल कलकत्ता प्रा0 लि0, एम-6, वी0 डी0 ए0 फ्लैट, रविन्द्रपुरी, वाराणसी।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**006 / 09, 23.01.2009**
प्रार्थी की ओर से	**श्री वीरेन्द्र कुमार खन्ना, विद्वान अधिवक्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री नेवेल कलकत्ता प्रा0 लि0, एम-6, वी0 डी0 ए0 फ्लैट, रविन्द्रपुरी, वाराणसी द्वारा दिनांक 23.01.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा वैट अधिनियम के अन्तर्गत '' Grey Board '' पर कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार खन्ना, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए एक लिखित उत्तर भी दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र देने के पश्चात माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दिये गये निर्णय के अन्तर्गत Grey Board को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-90 पर अंकित पैकिंग मैटेरियल के अन्तर्गत माना गया है । यह भी कहा गया है कि सर्वश्री खन्ना पेपर एजेन्सी, 6, महापालिका, कटरा निची बाग, वाराणसी बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मामले में माननीय वाणिज्य कर अधिकण द्वारा अपील संख्या-3 / 2009, दिनांक 03.06.2009 में निर्णय पारित करते हुए Grey Board को पैकिंग मैटेरियल के समान 4% की दर से करयोग्य माना गया है जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय देते हुए प्रकरण में माननीय वाणिज्य कर अधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा गया है । विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09, जिसमें दिनांक 23.01.2009 को प्रश्न पूछा गया है, के लिए मासिक / त्रैमासिक रिटर्न नियमित रूप से जमा किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है तथा Grey Board पर 12.5% की दर से कर आरोपित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण आदेश भी पारित किया जा चुका है । अन्त में अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों तथा व्यापारिक रूप से Grey Board के प्रयोग को देखते हुए नि:सन्देह यह मिल बोर्ड अथवा डूप्लेक्स बोर्ड की भाँति पैकिंग मैटेरियल ही प्रमाणित होता है जिस पर वैट एक्ट, 2008 के शेड्यिूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-90 की भाँति 4% की दर से करदेयता निर्धरित किया जाये ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या-4379, दिनांक 06.03.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि किसी भी वस्तु पर कर की दर वाणिज्यिक दृष्टिकोण से निश्चित होती है । Grey Board से पैकिंग मैटेरियल तो बनाया जा सकता है परन्तु यह स्वयं में पैकिंग मैटेरियल नहीं है अर्थात Grey Board का सीधे-सीधे पैकिंग करने में प्रयोग नहीं होता है Grey Board का प्रयोग रजिस्टर, नोट बुक आदि के कवर बनाने में भी होता है । प्रार्थी के कथनानुसार भी

....2

उनके द्वारा निर्मित Grey Board का प्रयोग पेपर कोन बनाने में हो सकता है किन्तु Grey Board स्वयं में पैकिंग मैटेरियल नहीं है । अत: Grey Board को अनुसूची-V के अन्तर्गत ही 12.5% की दर से करयोग्य मानना उचित होगा ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के समय स्वीकार किया है कि प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए प्रार्थी द्वारा समस्त मासिक / त्रैमासिक रिटर्न निरन्तर दाखिल किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश भी पारित किया जा चुका है । स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मासिक / त्रैमासिक रिटर्न्स (रूपपत्र-24) कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते ही प्रकरण विचाराधीन हो जाता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । इस निर्णय के अनुसार मासिक / त्रैमासिक रिटर्न रूपपत्र-24 दाखिल करते ही कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रोसीडिंग पेडिंग हो जाती है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत यदि कोई प्रोसीडिंग पेडिंग है तो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विवाद केवल वर्ष 2008-09 वित्तीय वर्ष में है, जिसका कर-निर्धारण हो चुका है । उपरोक्त परिस्थितियों में धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं वर्तमान में नियमित रूप से रूपपत्र-24 विभाग में जमा किया जा रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के आलोक में मासिक / त्रैमासिक रूपपत्र-24 दाखिल करते ही कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रोसीडिंग पेडिंग हो जाती है । प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.01.2009 को धारा-59 का प्रार्थना-पत्र दिया गया है । वर्ष 2008-09 में सभी रूपपत्र-24 दाखिल किये गये हैं एवं कर-निर्धारण भी हो चुका है । अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रोसीडिंग पेडिंग होने के कारण प्रार्थी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है । अत: उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है जिसे अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 29 मार्च, 2014 ह0 / 29.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।